10रु. कोर्ट फीस Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(79)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु बोर्ड ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. /2017 निगरानी III/अशोकनगर

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/3621

01. कल्याणसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जाति रघुवंशी आयु 50 वर्ष, व्यवसाय कृषि

02. कन्हैराम पुत्र श्री फतेहसिंह जाति रघुवंशी आयु 55 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासीगण ग्राम करम्बा तहसील शाढ़ोरा जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..............निगरानीकर्ता

विपरीत

गंगोत्री उर्फ गांगोटी पत्नि रतनसिंह पुत्री फतेहसिंह जाति रघुवंशी आयु 60 वर्ष, निवासी फरदार, तहसील शाढ़ौरा पोस्ट बगुलिया जिला अशोकनगर (म.प्र.) ....प्रतिनिगरानीकर्ता

कोमल चतुर्वेदी 03.10.17

3.10.17

C.F. 26/10/17

03.10.17

<u>न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रकरण कमांक 1स/129 /2014—15 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 एवं अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के प्रकरण 361 अपील 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध धारा 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहित के अंतर्गत निगरानी।</u>

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी सादर निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :—

01. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के विपरीत होकर स्थिर रखने योग्य नहीं है।

02. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय प्रतिनिगरानीकर्ता का हक त्याग पत्र एवं प्राप्त हिस्से का शपथ पत्र का अवलोकन न करते हुये और आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में न होते हुये भी उसको राजस्व अभिलेख में अमल करने की वैधानिक भूल की है जिसके विपरीत यह निगरानी प्रस्तुत की है उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के यहाँ अपील दिनांक 02.06.2017 को प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 22.09.2017 को सक्षम न्यायालय प्रस्तुत करने का आदेश दिया है जो विधिवत समयसीमा में है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/3621

कल्याण सिंह आदि विरूद्ध गंगोत्री

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 1-स/129/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20/3/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	